न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,टोंक

(सुरेश चौधरी, आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 06 / 2024

प्रविष्टि दिनांक 01.02.2024

निर्णय दिनांक 01.03.2024

सरकार जरिए पुलिस अधीक्षक, जिला टोंक

..... सायल

बनाम

कैलाश मीणा पुत्र बंशी मीणा जाति मीणा निवासी दांता ढाणी थाना देवली जिला टोंक

..... गैर सायल

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 (3) राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975

उपस्थिति :—1—अभियोजन अधिकारी, राजकीय पेरोकार।
2—गैर सायल स्वयं उप.।

निर्णय **दिनांक 01.03.2024**

पुलिस अधीक्षक, टोंक द्वारा गैर सायल कैलाश मीणा पुत्र बंशी मीणा जाति मीणा निवासी दांता ढाणी थाना देवली जिला टोंक के विरूद्ध यह इस्तगासा प्रस्तुत कर बताया कि गैर सायल अपराधिक प्रवृति में लीन है, अतः गैर सायल के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाकर जिले से निष्कासित करने की कार्यवाही की जावे ताकि इलाके में शान्ति बनी रहे।

इस्तगासा प्रस्तुत होने पर गैर सायल की तलबी जरिये सम्मन की गई। गैर सायल स्वयं उपस्थित हुआ। गैर सायल को आरोप इस्तगासा पढकर सुनाया गया। गैर सायल द्वारा आरोपों को स्वीकार किया गया तथा लिखित में जवाब पेश करने से इन्कार किया गया। अभियोजन अधिकारी एवं गैर सायल की बहस सुनी गई।

अभियोजन अधिकारी ने बहस करते हुए निवेदन किया कि गैर सायल के विरूद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत हुए है। गवाहान जो प्रेशिक्यूशन ने प्रस्तुत किये है उनकी विश्वसनीयता को नकारा नहीं जा सकता। गैर सायल के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट व चार्जशीट पेश की और वह मुकदमों में गुण्डा साबित होता है। गैर सायल के विरूद्ध दो अभियोग क्रमशः 389 / 20 दिनांक 15.10.2020 थाना देवली व 470 / 2022 दिनांक 02.12.2022 थाना निवाई सदर धारा 13 RGPO अधिनियम में दर्ज होकर सभी प्रकरणों में गैर सायल को सजा सुनाई गई जिनसे संबंधित चालान न्यायालय में प्रस्तुत किये गये। अभियोजन अधिकारी ने तर्क दिया कि गैर सायल आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है तथा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आये दिन जुआ खेलता है, दूसरों को जुआ खिलवाता है

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

जिससे समाज के लोगों पर काफी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इसकी आम शोहरत खराब हैं, लोग इससे डरते हैं तथा भयभीत रहते है। इसके बारे में कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र गवाही देने के लिए तैयार नहीं होता है। ऐसी स्थिति में गैर सायल का स्वतंत्र रहकर घूमना आम जीवन के लिए एवं शांति व्यवस्था के लिए पूर्ण रूप से खतरा बन बया है। अतः गैर सायल को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत जिले से अन्य जिले में निष्कासित किया जावें।

गैर सायल की बहस सुनी गई। गैर–सायल ने कथन किया कि जिन प्रकरणो में आरोप लगाये गये है वह केवल धारा 13 RGPO अधिनियम के है न कि किसी बडे अपराध अपहरण, हत्या, बलात्कार, चोरी इत्यादि के है तथा गुण्डा एक्ट के तहत किसी भी अपराधी का आदतन अपराधी होना आवश्यक है किन्तु इस संबंध में मुल्जिम का कोई रिकार्ड नहीं है। गैर सायल के विरूद्ध दर्ज दो प्रकरण जुए खेलने से संबंधित थे जिनका पूर्व में निस्तारण हो चुका है। वर्तमान में कोई मुकदमा विचाराधीन नहीं है। लिहाजा इस्तगासा खारिज किया जावे।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त परिशीलन किया तथा अभियोजन अधिकारी एवं गैर सायल की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि गैर सायल के विरूद्ध प्रस्तुत इस्तगासा गुण्डा एक्ट की धारा 3(3) में प्रस्तुत किया है तथा गैर सायल के विरूद्ध उक्त प्रकरण जुआ खेलने से संबंधित है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर होता है कि गैर सायल जुआ खेलने का आदी है। इस कारण समाज के लोगों पर निश्चित रूप से बुरा असर पड रहा है तथा भविष्य में भी गैर सायल अपराधिक कार्य को अंजाम दे सकता है। इसलिए इस अपराधिक प्रवृति को रोकने के लिए समाज हित में शांति व्यवस्था बनाये रखना आवश्यक है।

अतः पत्रावली में उपलब्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं चार्जशीट तथा दस्तावेजात का अवलोकन करने के पश्चात पुलिस अधीक्षक, टोंक द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा स्वीकार कर गैर सायल कैलाश मीणा पुत्र बंशी मीणा जाति मीणा निवासी दांता ढाणी थाना देवली जिला टोंक को दिनांक 01.03.2024 से 10.03.2024 तक की अवधि के लिए शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु पुलिस थाना देवली जिला टोंक से पुलिस थाना हनुमानगर जिला शाहपुरा के लिए निष्कासित किया जाता है तथा उसे पाबन्द किया जाता है कि वह प्रकरण में अंकित अपराधों की पुनरावृति नहीं करेगा एवं थानाधिकारी पुलिस थाना हनुमानगर जिला शाहपुरा के यहां प्रतिदिन हाजरी दर्ज करावेगा। इस संबंध में थानाधिकारी पुलिस थाना हनुमानगर जिला शाहपुरा आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करावे। फैसले की प्रति संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक एवं सम्बन्धित थानाधिकारी को प्रेषित की जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो तथा बाद जाप्ता दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 01.03.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश चौधरी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
टोंक